कारंजा (लाड), जि. वाशिम येथील गुरु मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : पविआ-२०२४/प्र.क्र.२४५/नवि-१८ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक:- ३० मे, २०२५.

वाचा :-१) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.-१४४४, दि.०४ जून, २०१५

- २) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.-१४४४, दि.१९ जुलै, २०१६
- ३) जिल्हाधिकारी, वाशिम यांचा दिनांक १३.०३.२०२४ रोजीचा प्रस्ताव
- ४) मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२०.०३.२०२५ रोजी संपन्न झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त

प्रस्तावना :-

नियोजन विभाग, शासन निर्णय, दि.०४.०६.२०१५ नुसार राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ-परिसर विकास आराखडा अंतिम करणे व अंमलबजावणीसाठी धोरण/मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. या शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती, मा. पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती, मा. मुख्य सचिव महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती आणि मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय शिखर समिती, अशा समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत.

२. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती आणि मा.पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता घेऊन, जिल्हाधिकारी, वािशम यांनी कारंजा (लाड) येथील गुरुमंदिर तीर्थक्षेत्राचा रु.१७०.२५ कोटी इतक्या रक्कमेचा विकास आराखडा शासनास मान्यतेस्तव सादर केला होता. सदर आरखड्यास मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दि.१४.१०.२०२४ रोजी व मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या दि.२०.०३.२०२५ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यातील मंदिर परीसरातील रु.५०.५० कोटी इतक्या रक्कमेच्या विकास कामांना मान्यता देण्यात आली आहे.

३. त्याअनुषंगाने वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा (लाड) येथील गुरुमंदिर तीर्थक्षेत्र विकासाच्या रु.५०.५० कोटी (अक्षरी रुपये पन्नास कोटी पन्नास लाख फक्त) इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यामधील पहिल्या टप्प्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

वाशिम जिल्हयातील कारंजा (लाड) येथील रु.१७०.२५ कोटी (अक्षरी रु. एकशे सत्तर कोटी पंचवीस लाख फक्त) (जी.एस.टी.व इतर खर्च अंतर्भूत) इतक्या रक्कमेच्या गुरु मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामधील रु. ५०.५० कोटी (अक्षरी रुपये पन्नास कोटी पन्नास लाख फक्त) (जी.एस.टी.व इतर खर्च अंतर्भूत) इतक्या रक्कमेच्या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील पहिल्या टप्प्यातील कामांना खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

अटी व शर्ती :-

- 9. सदर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडयातील प्रत्येक कामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी सक्षम अधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घेण्यात आल्याची खात्री करुन कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यवाही करावी.
- २. या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांचा इतर कोणत्याही शासकीय योजनेच्या प्रस्तावित अथवा मंजूर कामांमध्ये समावेश नाही. तसेच या कामांची द्विरुक्ती होणार नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची राहील.
- ३. आराखड्याची अंमलबजावणी करतांना शिखर समितीच्या मान्यतेशिवाय मंजूर आराखड्यातील कामांव्यतिरिक्त इतर कोणतेही काम समाविष्ट करता अथवा बदलता येणार नाही.
- ४. या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामधील कामांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज संस्थान, कारंजा (लाड), जि. वािशम यांची राहील.
- ५. जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी प्राधान्याने करावयाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव कामनिहाय शासनास सादर करावा.
- ६. या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामाची भौतिक प्रगती तसेच वितरीत निधीतून होणाऱ्या खर्चाची त्रैमासिक विवरणपत्रे कार्यान्वयीन यंत्रणेने शासनास सादर करावीत. तसेच सदर आराखडयातील कामांसाठी होणाऱ्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे कार्यान्वयीन यंत्रणेने विहित कालमर्यादेत शासनास सादर करावीत.
- ७. सदर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडयातील कामांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या खर्चाबाबत वित्त विभाग व नियोजन विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना/निर्देशांची संनियंत्रण अधिकारी, जिल्हाधिकारी, वाशिम तसेच कार्यान्वयीन यंत्रणा कारंजा (लाड) नगरपरिषद यांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी.

- ०२. गुरुमंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याकरीता सोबतच्या विवरणपत्रातील विविध कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून कारंजा (लाड) नगरपरिषद, कारंजा, जि. वाशिम या स्थानिक स्वराज्य संस्थेस व जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना "संनियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
- ०३. सदर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या एकूण खर्चाच्या कारंजा (लाड) नगरपरिषदेचा १२.५ टक्के हिस्सा माफ करण्यात येत आहे.
- ०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०५३०१७४२४८३४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

(अनिरुद्ध जेवळीकर) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति.

- १. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- २. मा. उपमुख्यमंत्री (नगर विकास) यांचे प्रधान सचिव
- ३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री, वित्त व नियोजन यांचे सचिव
- ४. मा. पालकमंत्री, वाशिम यांचे खाजगी सचिव.
- ५. वाशिम जिल्हयातील संबंधित संसद सदस्य, विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य.
- ६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ७. मा. अपर मुख्य सचिव, वित्त/नियोजन/सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ८. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ९. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई.
- १०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर.
- ११. विभागीय आयुक्त, अमरावती.
- १२. जिल्हाधिकारी, वाशिम.
- १३. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम.
- १४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत), वाशिम.
- १५. उप सचिव (नवि-१८)/(नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १६. मुख्याधिकारी, कारंजा (लाड) नगरपरिषद, जि. वाशिम
- १७. निवडनस्ती (नवि-१८)

शासन निर्णय क्रमांक : पविआ-२०२४/प्र.क्र.२४५/नवि-१८, दिनांक ३० मे, २०२५ सोबतचे विवरणपत्र

| अ.क्र. | कामाचे नाव | | किंमत |
|-----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| क) | मंदिर सभागृह आणि शिखर, मंदिर | | |
| | परिसर, वेदशाळा, बहुउद्देशीय हॉल | | |
| | आणि भक्त निवास | | |
| ٩. | मंदिर सभागृह आणि शिखर | | |
| | i) पाया | | ७०,९१,३३६/- |
| | ii) मंदिर सभागृह आणि शिखर दगडी | | ३,०६,२१,४२६/- |
| | काम | | |
| ₹. | i) मंदिर परिसर | | १२,६९,८२,४८२/ - |
| | ii) क्लॅडिंग | | ५,२४,०६,८११/- |
| | | एकूण किंमत (क) = | २१,७१,०२,०५५/- |
| ख) | इमारतीचा परिसर व इतर बाबी | | |
| ٩. | पाणी पुनर्भरण व्यवस्था | | ९ 9,३००/- |
| ₹. | संरक्षण भिंत | | ५९,२०,५७६/- |
| ₹. | पेविंग व मार्ग | | ५८,६०,२६२/- |
| 8. | फर्निचर | | १,४०,९६,८००/- |
| ч. | लँ डस्केपिंग | | 4,32,400/- |
| | | एकूण किंमत (ख)= | २,६५,०१,४३८/- |
| ग) | पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतागृहाचे | | |
| | काम | | |
| ٩. | अंतर्गत | (क) च्या ६% | १,३०,२६,१२३/- |
| ₹. | बाह्य | (क) च्या ८% | 9,७३,६८,9६४/- |
| | | एकूण किंमत (ग)= | ३,०३,९४,२८७/- |
| ਬ) | इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल | | |
| 9. | अंतर्गत विद्युतीकरण | (क) च्या ६% | १,३०,२६,१२३/- |
| २. | बाह्य विद्युतीकरण | (क) च्या ५% | 9,0८,५५,90३/- |
| ₹. | अग्निशमन यंत्रणा रु. | | <u> </u> |
| | ३०००००.००/- प्रति मजला | | |
| ٧. | लिफ्ट | | 40,00,000/- |
| 4. | एअर कंडिशनिंग | (क) च्या ५% | 9,0८,५५,90३/- |
| ξ. | सीसीटीव्ही | (क) च्या २% | ४३,४२,०४ १ /- |
| 9. | लॅन/वॅन (२०००००/मजला) | | १०,६६,६६७/- |
| ८. | लाइटनिंग अरेस्टर (३०००००/नग) | | 3,00,000/- |
| ۶. | साउंड सिस्टम | (क) च्या ०.७% | 9५,9९,७9४/- |

| 90. | ईपीबीएक्स (EPBX) | (क) च्या ०.१३२% | २,८६,५७५/- |
|-----|---|-----------------|--------------------------|
| 99. | यूपीएस (UPS) | | 3,33,333/- |
| ٩२. | ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन | | १२,६०,०००/- |
| 93. | वॉटर कूलर आणि प्युरिफायर | | ६,६६,६६७/- |
| 98. | डीजी सेट | | २५,००,०००/- |
| | | एकूण (घ) = | ६,१०,११,३२६/- |
| च) | सर्वेक्षण आणि तपास | | |
| ٩. | माती तपासणी, तपशीलवार जमीन | (क) वर २% | 8 3 ,82,089/- |
| | सर्वेक्षण आणि आरसीसी डिझाइन | | |
| | | एकूण (च) = | ४३,४२,०४ ٩/- |
| छ) | किरकोळ बाबी | | |
| ٩. | पानी पुनर्भरण व्यवस्थेकरिता भूमिगत | | ૧ ६,६६,६६७/_ |
| | पाण्याची टाकी | | |
| ٦. | पाणी टाकी आणि पंप हाऊस, | | ३५,००,०००/- |
| | बोअरवेल | | |
| ₹. | बायो डायजेस्टर २०० व्यक्ती आणि | | 90,८9,२५०/- |
| | १०००० लिटर | | |
| ٧. | प्रवेशद्वार १ | | 9,40,00,000/- |
| | | एकूण (छ) = | २,१२,४७,९१७/- |
| | प्रकल्प खर्च (ज)= (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(च)+(छ) = | | ३६,०५,९९,०६४/- |
| ড) | अनुषंगिक बाबी | | |
| ٩. | स्वामित्व धन शुल्क | (क) वर ४% | ८६,८४,०८२ |
| ٦. | चाचणी शुल्क | (क) वर २% | 83,82,089/ ₋ |
| ₹. | आकस्मिक निधी | (क) वर ४% | ८६,८४,०८२/- |
| 8. | ग्रीन बिल्डिंग | (क) वर ५% | 9,0८,५५,90३/- |
| ५. | जी एस टि | (ज) वर १८% | ६,४९,०७,८३२/- |
| ξ. | भाववाढ | (ज) वर ५% | १,८०,२९,९५३/ - |
| 0. | सेंटेज चार्जेस | (ज) वर ५% | १,८०,२९,९५३/ - |
| ۷. | सल्लागार शुल्क | (ज) वर ३% | 9,0८,9७,९७२/- |
| | | एकूण (ज) = | 98,8३,५१,०१८/- |
| | प्रकल्पाचा एकूण खर्च = | | ५०,४९,५०,०८२/- |
| | एकूण किंमत (कोटी) = | | ५०.५० |

(अनिरुध्द जेवळीकर) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन